

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (सीनियर डिवीजन), श्रावस्ती।

उपस्थित- अपर्णा देव, उ० प्र० न्यायिक सेवा।(आई.डी. नं०- यूपी 1831)

फौजदारी वाद संख्या: 40 सन् 2011

सी०एन०आर:-यू०पी०एस०आर-040017842011

सरकार

बनाम

1. ननकऊ पुत्र लौटन।
2. कुंवारे पुत्र ननकऊ।
3. रामदीन पुत्र रामसुधि। (मृतक दौरान वाद)
4. गया प्रसाद पुत्र श्यामलाल।

समस्त निवासीगण- शंकरपुर, थाना सोनवा, जनपद श्रावस्ती

..... अभियुक्तगण ।

एन०सी०आर० संख्या: 137 सन् 2010

अन्तर्गत धारा- 352/34, 427/34, 504, 506 भा०दं०

थाना- सोनवा, जिला- श्रावस्ती।

निर्णय

अभियुक्तगण ननकऊ पुत्र लौटन, कुंवारे पुत्र ननकऊ, रामदीन पुत्र रामसुधि, गया प्रसाद पुत्र श्यामलाल को थाना सोनवा, जिला श्रावस्ती की पुलिस रिपोर्ट के आधार पर धारा 352, 427, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए परीक्षित किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार से हैं कि अभियुक्तगण वादी मुकदमा के पट्टीदार हैं। कुल 36 बीघा जमीन है, जिसमें 18 बीघा उसका है तथा 18 बीघा विपक्षीगण का है। उसने 18 बीघा में मकई बोया था। दिनांक 27.07.2010 को शाम चार बजे अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा के खेत में बोई हुई फसल को पुनः जोतकर कब्जा करने की कोशिश करने लगे। वादी मुकदमा को इस बात की जानकारी हुई और उसने अभियुक्तगण को मना किया तो अभियुक्तगण उसे गन्दी-गन्दी गालियां व जान से मारने की धमकी देते हुए मारने के लिए दौड़े तथा काफी नुकसान किया। अभियुक्तगण काफी दबंग व्यक्ति हैं, जो आस पास के लोगों की जमीन जोतकर कब्जा कर लेते हैं। घटना के समय उसका छोटा भाई रामचरन भी साथ था। वे लोग डरवश गांव नहीं गये। वादी मुकदमा द्वारा दी गई जुबानी सूचना के आधार पर एन०सी०आर० संख्या 137 सन् 2010 पंजीकृत की गई। न्यायालय के आदेश पर उप-निरीक्षक सूबेदार यादव द्वारा विवेचना की गई। दौरान विवेचना विवेचक ने घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा-नजरी बनाया एवं साक्षीगण के बयान अंकित किए गए। बाद विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा-427, 504, 506, 352 भारतीय दण्ड संहिता न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया एवं अभियुक्तगण को तलब किया गया।

अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित हुए, उनके द्वारा जमानते कराई गई और उन्हें अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियाँ प्रदान की गई।

अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-427/34, 504, 506, 352/34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप विरचित किया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण की माँग की।

दौरान मुकदमा अभियुक्त संख्या 03 रामदीन की मृत्यु हो गयी और मुकदमे की कार्यवाही

उसके विरुद्ध उपशमित कर दी गयी।

अभियोजन द्वारा साक्ष्य में अभियोजन साक्षी संख्या 1 मोहनलाल, अभियोजन साक्षी संख्या 02 रामसरन, अभियोजन साक्षी संख्या 03 अंगनू, अभियोजन साक्षी संख्या 04 सोहनलाल, अभियोजन साक्षी संख्या 05 सूबेदार यादव को परीक्षित कराया गया है। अभियोजन द्वारा अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में कार्बन प्रति एन.सी.आर प्रदर्श क-1, प्रदर्श क-2 प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 155(2) दंड प्रक्रिया संहिता, प्रदर्श क-3 आरोप पत्र, नक्शा नजरी घटना स्थल प्रदर्श क-4 पत्रावली में उपलब्ध हैं।

अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता अंकित किए गए। अभियुक्तगण ने घटना से इन्कार किया तथा गवाहों द्वारा झूठी गवाही देना बताया तथा सफाई साक्ष्य देने से इन्कार किया। प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में अभियुक्तगण द्वारा छायाप्रति आदेश दिनांकित 12.10.2012 न्यायालय चकबंदी अधिकारी भिनगा श्रावस्ती वाद संख्या 103 अंतर्गत धारा 9 क (2) उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम ननकऊ आदि बनाम श्यामलाल आदि दाखिल किया गया है।

मैंने विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

निष्कर्ष

अभियुक्तगण ननकऊ पुत्र लौटन, कुंवारे पुत्र ननकऊ, गया प्रसाद पुत्र श्यामलाल पर वादी मुकदमा के खेत में मकई की फसल को जोतकर रिष्टी, वादी मुकदमा के विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए वादी मुकदमा को भददी-भददी गालियां देना व जान से मारने की धमकी देना आरोपित है। इस प्रकार प्रस्तुत मामले में यह विचारणीय तथ्य है कि क्या अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा की फसल को जोतकर रिष्टी कारित की, उसके विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए गाली गलौच की व जान से मारने की धमकी दी अथवा नहीं। अभियोजन को अपना कथानक स्वयं सिद्ध करना है, जिसके लिये उसे अभियुक्तगण पर आरोपित आरोप संदेह से परे साबित करना है।

अभियोजन साक्षी संख्या 1 मोहनलाल ने बयान दिया है कि घटना करीब डेढ़ साल पहले की है। आषाढ़ की घटना है। घटना चार बजे शाम की है। ननकऊ, कुंवारे, रामदीन, गया प्रसाद जो उसके पट्टीदार हैं। लाठी डंडे से लैस होकर के उन्हें मारने के लिए दौड़ाये थे और मौके पर धमकी दिये कि मार डालो। घटना उसके खेत पर हुई थी। मकई बोयी हुई थी। मकई टिहुना भर थी। मकई करीब छः-सात बीघा थी। उपरोक्त अभियुक्तगण उसकी मकई को ट्रैक्टर से जोतकर नुकसान किया था। करीब बीस कुंटल मकई का उस समय नुकसान हुआ था। उक्त बीस कुंटल मकई करीब बीस हजार रुपये की थी। घटना की जुबानी सूचना थाने पर लिखाई थी। इस साक्षी ने अपने बयान में एन.सी.आर प्रदर्श क 01 एवं प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 155(2) दंड प्रक्रिया संहिता प्रदर्श क 02 को साबित किया है। इस साक्षी से अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गई है परन्तु वह ऐसा कोई भी प्रतिकूल तथ्य निकलवा पाने में असमर्थ रहे हैं, जिससे अभियोजन कथानक पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो।

अभियोजन साक्षी संख्या 02 रामसरन ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि घटना साढ़े तीन साल पहले हुई है। चार बजे शाम का समय था। मोहनलाल का ननकऊ से जमीन का झगड़ा है। वह अपने भाई मोहनलाल के साथ अपना मकई का खेत देखने गया था। अभियुक्तगण ननकऊ, कुंवारे, रामदीन व गया प्रसाद उन लोगों के मकई की फसल को जोतकर नष्ट कर रहे थे। जब उन लोगों ने पूछा कि फसल को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो तो उपरोक्त चारों अभियुक्तगण गन्दी गालियां देते हुए लाठी डंडा से मारने के लिए उनको दौड़ा दिया और कहे कि खेत उनका है। यदि

इसके पास आओगे तो पूरे परिवार को जान से मार कर खत्म कर देंगे। जब उन लोगों ने शोर किया तो शोभन और अंगनू आ गये जिन्होंने घटना देखी और बीच बचाव किया। इस साक्षी ने भी अपने बयान में अभियोजन कथानक की पुष्टि की है तथा अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करना बताया है। इस साक्षी से भी अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गई है परन्तु वह ऐसा कोई भी प्रतिकूल तथ्य निकलवा पाने में असमर्थ रहे है, जिससे अभियोजन कथानक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

अभियोजन साक्षी संख्या 03 अंगनू ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि झगड़ा हुए चार वर्ष में माह कम हो गया है। तीन-चार बजे शाम का समय था। मोहनलाल के खेत में मकई बोया था। उस खेत को ननकऊ ने ट्रैक्टर से जोत दिया व सारी मक्के की फसल नष्ट कर दी। ननकऊ के साथ कुंवारे, रामदीन को देखा और किसी को नहीं देखा। गयाप्रसाद को नहीं देखा था। मोहनलाल ने उन लोगों से पूछा कि उसका खेत क्यों जोत रहे हो व मकई की फसल क्यों नष्ट कर दी है, तो ननकऊ व अन्य सभी लोग गाली गुप्ता देने लगे। वह पेट्रोल पंप पर खड़ा था। वही पर भागकर आये। इस साक्षी से अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी है।

अभियोजन साक्षी संख्या 04 मोहनलाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि घटना हुए पांच वर्ष पहले की है। समय चार बजे शाम का था। वह घास छीलने जा रहा था। उसने ननकऊ, कुंवारे, गयाप्रसाद, रामदीन को मोहनलाल का खेत जिसमें मकई बोये थे, मकई एक बालिस के लगभग था। मुल्जिमान उपरोक्त जोतकर नुकसान कर रहे थे। अभियुक्तगण कब्जा करने की नीयत से जमीन जोत रहे थे। तब मोहनलाल व उसके भाई रामचरन आकर मना करने लगे तो उपरोक्त अभियुक्तगण लाठी डंडा लेकर मोहनलाल व रामचरन को मारने के लिए गाली गुप्ता देते हुए दौड़ाये व जान से मारने की धमकी दिये। दोनों भाई भागकर जान बचाये। अभियुक्तगण द्वारा खेत जोतने से काफी नुकसान हुआ है। इस साक्षी से भी अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तृत जिरह की गई है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में अभियुक्तगण द्वारा मकई का खेत जोतना बताया है तथा ट्रैक्टर से जोतना बताया है। इस साक्षी से अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपराधिक बल का प्रयोग करना, गाली गलौज करने, एवं जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में कोई भी प्रश्न या सुझाव नहीं रखा गया है।

अभियोजन साक्षी संख्या 05 सूबेदार यादव उपनिरीक्षक ने अपनी मुख्य परीक्षा में आरोप पत्र प्रदर्श क 03, नक्शा नजरी घटनास्थल प्रदर्श क 04 को साबित किया है। साथ ही प्रदर्श क 01 कार्बन प्रति एन सी आर को हेड कांस्टेबल हनुमान प्रसाद गुप्ता द्वारा लिखा जाना बताया है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियोजन द्वारा घटना की दिनांक व समय को साबित नहीं किया गया है। जबकि विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन द्वारा घटना की दिनांक व समय को पूर्णतः साबित किया गया है। अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्तगण ने सामान आशय से प्रेरित होकर दिनांक 27.07.2010 को चार बजे शाम को वादी मुकदमा मोहनलाल की मकई की फसल जोतकर उसके विरुद्ध अपराधिक बल का प्रयोग करते हुए भट्टी-भट्टी गालियाँ देते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। अभियोजन साक्षी संख्या 1 मोहनलाल ने बयान दिया है कि घटना करीब डेढ़ साल पहले की आषाढ़ के शाम चार बजे हुई थी। अभियोजन साक्षी संख्या 02 रामसरन, जिसका बयान दिनांक 11.02.2014 को न्यायालय में हुआ है, ने अपने बयान दिया है कि घटना हुए साढ़े तीन साल से उपर

हो गये हैं, शाम चार बजे का समय था। अभियोजन साक्षी संख्या 03 अंगनू, जिसका बयान दिनांक 01.05.2014 को हुआ है, ने बयान दिया है कि झगड़ा हुए चार वर्ष से माह कम हो गया है। तीन-चार बजे शाम का समय था। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या 04 सोहनलाल, जिसका बयान दिनांक 09.03.2015 को हुआ है, ने बयान दिया है कि घटना हुए पांच साल लगभग हो गया। घटना शाम चार बजे के आसपास की है। अभियोजन साक्षीगण ने घटना घटित होने का वर्ष व समय अपने-अपने बयान होने की दिनांक से सही बताया है। यदि अभियोजन साक्षीगण अपने बयान में घटना की स्पष्ट दिनांक बता पाने में असफल रहे हैं तो इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव अभियोजन कथानक पर नहीं पड़ता है क्योंकि उक्त साक्षीगण घटना के लगभग दो वर्षों से लेकर पांच वर्षों के मध्य परीक्षित हुए हैं तथा इतने समय के पश्चात् किसी निश्चित दिनांक को याद न रख पाना मानवीय रूप से स्वाभाविक है। तब न्यायालय यह पाता है कि सभी मौके के अभियोजन साक्षीगण ने घटना की दिनांक व समय को साबित किया है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियोजन द्वारा घटनास्थल को साबित नहीं किया गया है। जबकि विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन द्वारा घटना स्थल को पूर्णतः साबित किया गया है। अभियोजन कथानक के अनुसार घटनास्थल वादी मुकदमा मोहनलाल के खेत की होना बताया गया है। नक्शा नजरी घटनास्थल प्रदर्शक- 3 में विवेचक द्वारा घटनास्थल मोहनलाल के मकई के खेत, जिसके उत्तर में खेत श्यामलाल, दक्षिण में खेत मंगली, पूरव में खेत ननकऊ, पश्चिम में खेत मंगली को दर्शाया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या 01 मोहनलाल ने बयान दिया है कि घटना उसके खेत पर हुई थी। विवादित भूमि की चौहददी के उत्तर लोहार का खेत, दक्षिण में पासी गोपाल का खेत, पूरव में लोहार का खेत व पश्चिम में अहीर का खेत है, परंतु अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से घटनास्थल के अगल-बगल जिन व्यक्तियों के खेत हैं, उनके नाम नहीं पूछे गये हैं। अभियोजन साक्षी संख्या 02 रामसरन ने घटना खेत पर होना बताया है। इस साक्षी के अनुसार झगड़े वाली जमीन के उत्तर श्यामलाल, दक्षिण में खेत मंगली, पूरव में खेत ननकऊ, पश्चिम में खेत मंगली है। अभियोजन साक्षी संख्या 04 सोहनलाल ने बयान दिया है कि घटना मोहनलाल के खेत की है। मकई का खेत सड़क के पूरव है, खेत के पश्चिम ननकऊ का घर बना है, खेत के उत्तर तले की टंकी है। इस प्रकार अभियोजन साक्षीगण के द्वारा घटनास्थल को साबित किया गया है तथा न्यायालय यह पाता है कि घटनास्थल के सम्बन्ध में कोई विरोधाभास नहीं है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि घटना दिनांक 27.07.2010 को समय करीब शाम चार बजे की बताई गई है जबकि एन०सी०आर० दिनांक 28.07.2010 समय 17:20 बजे दिन को दर्ज कराई गई है अर्थात् एन०सी०आर० 24 घंटों के विलम्ब से दर्ज कराई गई है। जबकि विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखाये जाने का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। अभियोजन कथानक के अनुसार घटना दिनांक 27.07.2010 को समय करीब शाम चार बजे की है। प्रदर्शक 01 एन.सी.आर से दर्शित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट/एन०सी०आर० दिनांक 28.07.2010 समय 17:20 बजे को दर्ज कराई गई है। **अशोक कुमार चौधरी बनाम स्टेट ऑफ बिहार 2008(61) एस सी सी 972 (एस सी)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह विधि व्यवस्था प्रतिपादित की है कि यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराई गई हो और अभियोजन द्वारा विलम्ब का उचित एवं सन्तोषजनक कारण स्पष्ट किया गया हो तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए विलम्ब का कोई प्रतिकूल प्रभाव अभियोजन

पर नहीं पड़ेगा। प्रदर्शक 01 एन.सी.आर के अवलोकन से दर्शित होता है कि उक्त एन.सी.आर वादी मुकदमा की जुबानी सूचना पर दिनांक 28.07.2010 के समय 17:20 बजे दर्ज की गयी थी। उक्त एन.सी.आर में ही वादी मुकदमा ने अंकित कराया है कि अभियुक्तगण काफी जबरदस्त व्यक्ति हैं। वह डरवश नहीं आए और आज सूचना देने आए हैं। अभियोजन साक्षी संख्या 1 मोहनलाल, जो वादी मुकदमा है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि वह थाने सूचना देने अगले दिन गया था। इस साक्षी से एन.सी.आर विलम्ब से दर्ज कराने के सम्बन्ध में कोई भी प्रश्न अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा में नहीं पूछा गया है। तब न्यायालय यह पाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के विलम्ब से दर्ज कराए जाने का कोई विपरीत प्रभाव अभियोजन कथानक पर नहीं पड़ता है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियोजन द्वारा मामले के प्रथम सूचना रिपोर्ट के लेखक को परीक्षित नहीं कराया गया है और प्रथम सूचना रिपोर्ट/एन.सी.आर को साबित नहीं कराया गया है। इसलिए अभियोजन कथानक संदेहजनक है। इसके विपरीत विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उनके द्वारा अपने सभी प्रपत्रों को पूर्ण रूप से साबित कराया गया है।

प्रस्तुत मामले में अभियोजन द्वारा एन.सी.आर को अभियोजन साक्षी संख्या 05 सूबेदार यादव द्वारा साबित कराया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या 1 मोहनलाल ने भी एन.सी.आर को भी साबित किया है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियोजन साक्षी संख्या 05 सूबेदार यादव की न्यायालय में मुख्य परीक्षा दिनांक 17.12.2015 को हुई थी और उक्त दिनांक को अभियुक्तगण की प्रतिपरीक्षा का अवसर समाप्त कर दिया गया था। न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 311 दंड प्रक्रिया संहिता पर आदेश पारित करते हुए पुनः साक्षी सूबेदार यादव को जिरह हेतु तलब किया गया था, परंतु अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी को तलब नहीं कराया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **राज किशोर झा बनाम बिहार राज्य 2003 (47) ए सी सी 1068 (एस सी)** तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहबाद की विधि व्यवस्था **शिव शंकर बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 2002 क्रिमीनल लॉ जर्नल 2673 उच्च न्यायालय इलाहबाद** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहबाद ने यह अवधारित किया गया है कि अभियोजन के लिए यह सदैव वांछित होता है कि वह विवेचक को परीक्षित कराए। परन्तु जहाँ अन्य अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य विश्वसनीय हो तथा साक्षियों द्वारा घटना को साबित किया गया हो, तो यदि विवेचक को परीक्षित न कराया हो से अभियोजन के लिए घातक नहीं होता है। प्रस्तुत मामले में मौके के साक्षीगण ने अपने बयानों में घटना को साबित किया है। तब यदि अभियोजन द्वारा मामले के विवेचक की प्रतिपरीक्षा पूर्ण नहीं करायी गयी है तो इसका कोई विपरीत प्रभाव अभियोजन कथानक पर नहीं पड़ता है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियोजन साक्षीगण के बयानों में विरोधाभास है, जिससे अभियोजन कथानक संदेहजनक हो जाते हैं। जबकि विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन साक्षीगण के बयानों में जो भी विरोधाभास है, वे सूक्ष्म प्रकृति के हैं, जिनसे अभियोजन कथानक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह सही है कि अभियोजन साक्षीगण के बयानों में थोड़ा बहुत विरोधाभास अवश्य है। परन्तु उक्त विरोधाभास सूक्ष्म प्रकृति के हैं। अभियोजन साक्षीगण के बयान घटना से दो वर्षों से पांच वर्षों के मध्य के अन्तराल पर हुए हैं तथा इतने अन्तराल पर सूक्ष्म विरोधाभास होना स्वभाविक है, जिनसे अभियोजन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तब न्यायालय अभियोजन के इस तर्क से सहमत

है कि प्रस्तुत वाद में साक्षीगण के बयानों में जो भी विरोधाभास है वे सूक्ष्म प्रकृति के हैं, जिनसे अभियोजन कथानक पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

अभियुक्तगण का यह भी कथन है कि अभियोजन साक्षी संख्या 03 अंगनू पक्षद्रोही है और जिससे अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है। अभियोजन साक्षी संख्या 03 अंगनू ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना एवं समय को साबित किया है साथ ही यह बयान दिया है कि अभियुक्त ननकऊ ने मोहनलाल के खेत को जोता है और ननकऊ के साथ कुंवारे एवं रामदीन भी मौजूद थे। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण द्वारा गाली-गुप्ता देना व जान से मारने की धमकी देना बताया है। इस साक्षी ने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में बयान दिया है कि श्यामलाल, ननकऊ व मोहनलाल के बीच जमीनी मुकदमा था और इसी कारण उसने मुकदमा लिखाया था।

अभियुक्तगण का यह भी कथन है कि उनको झूठा फंसाया गया है कि वादी मुकदमा उनके पारिवारिक व पट्टीदार हैं। विवादित भूमि के सम्बन्ध में उनके एवं वादी मुकदमा के मध्य विवाद चल रहा है और इसी रंजिशन के कारण उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा दाखिल प्रपत्र छायाप्रति आदेश दिनांकित 12.10.2012 न्यायालय चकबंदी अधिकारी भिनगा श्रावस्ती वाद संख्या 103 अंतर्गत धारा 9 क (2) उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम ननकऊ आदि बनाम श्यामलाल आदि छायाप्रति प्रपत्र है, जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। अभियोजन साक्षी संख्या 01 मोहनलाल ने स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण उसके पट्टीदार हैं। अभियोजन साक्षीगण ने अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किया जाना अपने बयानों में बताया है। मात्र इस आधार पर की अभियुक्तगण वादी मुकदमा के पट्टीदार हैं के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि घटना का हेतुक न हो, बल्कि विवादित भूमि के कारण ही विवाद उत्पन्न होना स्पष्ट होता है। तब न्यायालय यह पाता है कि अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध हेतुक को साबित कर पाने में सफल रहा है।

अब यह देखना है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा कारित कृत्य उन पर लगे आरोपों की श्रेणी में आता है। अभियुक्तगण पर पहला आरोप धारा 504 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत लोक शान्ति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से पीड़ित वादी मुकदमा को गन्दी-गन्दी गालियां देना आरोपित है। अभियोजन साक्षी संख्या 1 मोहनलाल, अभियोजन साक्षी संख्या 2 रामसरन एवं अभियोजन साक्षी संख्या 04 मोहनलाल ने अपने बयानों में सिद्ध किया है कि अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा मोहनलाल व उसके भाई को गन्दी गन्दी गालियां दी थीं। इस प्रकार अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 504 भारतीय दंड संहिता का आरोप सिद्ध होता है।

अभियुक्तगण पर दूसरा आरोप धारा 506 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आपराधिक अभिवासा कारित करने का आरोपित है। अभियोजन साक्षी संख्या 1 मोहनलाल, अभियोजन साक्षी संख्या 2 रामसरन एवं अभियोजन साक्षी संख्या 04 मोहनलाल ने अपने बयानों में सिद्ध किया है कि अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा मोहनलाल व उसके भाई को जान से मारने की धमकी दी थी। इस प्रकार अभियुक्तगण पर धारा 506 भारतीय दंड संहिता का आरोप साबित होता है।

अभियुक्तगण पर तीसरा आरोप धारा 352/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत वादी मुकदमा के विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग करना आरोपित है। सभी अभियोजन साक्षीगण ने अपने बयानों में सिद्ध किया है कि अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा मोहनलाल व उसके भाई के विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग किया था और मारने के लिए दौड़ाया था। अभियोजन साक्षीगण द्वारा यह भी कथन किया गया है कि सभी अभियुक्तगण ने साथ मिलकर उपरोक्त कृत्य किया है तब न्यायालय

यह पाता है कि अभियुक्तगण ने सामान्य आशय से प्रेरित होकर वादी मुकदमा के विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग किया था। इस प्रकार अभियुक्तगण पर धारा 352/34 भारतीय दंड संहिता का आरोप साबित होता है।

अभियुक्तगण पर चौथा आरोप धारा 427/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत वादी मुकदमा के खेत को जोतकर फसल को नष्ट कर रिष्टी कारित करना आरोपित है। सभी अभियोजन साक्षीगण ने अपने बयानों में सिद्ध किया है कि अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा मोहनलाल के खेत में लगी फसल को नष्ट कर दिया है। अभियोजन साक्षीगण ने यह भी बयानों में स्वीकार किया है कि वादी मुकदमा एवं अभियुक्तगण पट्टीदार हैं तथा वादी मुकदमा एवं अभियुक्तगण के मध्य विवादित सम्पत्ति के सम्बन्ध में विवाद चल रहा है, तब यह स्पष्ट नहीं है कि विवादित सम्पत्ति का स्वामी कौन है और यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा की सम्पत्ति पर लगे हुए फसल को नष्ट किया गया हो। तब न्यायालय यह पाता है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 427/34 भारतीय दंड संहिता का आरोप साबित नहीं होता है।

इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य का सूक्ष्मतापूर्वक अध्ययन करने पर उसमें किसी भी प्रकार की विसंगति या विरोधाभास प्रकट नहीं होता है। अभियोजन साक्षीगण द्वारा दी गयी गवाही यह इंगित करती है कि सभी अभियुक्तगण द्वारा मिलकर अपराध कारित किया गया है। अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध अपना आरोप संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतया सफल रहा है तथा अभियुक्तगण दंड के भागी हैं। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके जमानत नामें व व्यक्तिगत बंधपत्र को निरस्त कर जमानतदारों को उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। सजा के बिन्दु पर पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनांक:- 13.12.2019

(अपर्णा देव),

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/
सिविल जज सीनियर डिवीजन,

श्रावस्ती।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को दण्ड के प्रश्न पर सुना। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्तगण बहुत गरीब एवं बुजुर्ग व्यक्ति है। यह उनका प्रथम अपराध है। इसलिए कम से कम सजा देने की प्रार्थना की है। जबकि विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी का कथन है कि न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को दोषी माना जा चुका है। अतः उसे अधिक से अधिक सजा देने की माँग की है।

पत्रावली के अवलोकन से न्यायालय का मत है कि अभियुक्तगण द्वारा यह प्रथम अपराध कारित किया गया है। अन्य किसी पूर्व अपराध या पूर्व दोष-सिद्धी का साक्ष्य पत्रावली पर नहीं आया। प्रस्तुत मुकदमा वर्ष 2011 का है, जिसके विचारण में लगभग आठ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। अभियुक्तगण व वादी मुकदमा पारिवारिक व पट्टीदार हैं। गांव में सामाजिक समरसता को बनाये रखना आवश्यक है। अभियुक्तगण बुजुर्ग व्यक्ति हैं। ऐसी दशा में अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 04 का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अभियुक्तगण ननकऊ, कुंवारे, एवं गयाप्रसाद को एन.सी.आर. संख्या 137 सन् 2010 अंतर्गत धारा 352/34, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता थाना सोनवा, जिला श्रावस्ती के मामले में परिवीक्षा अधिनियम की धारा 04 का लाभ प्रदान करते हुए एक वर्ष के लिए सदाचार व सदव्यवहार बनाये रखने के लिए परिवीक्षा के अंतर्गत छोड़ा जाता है। प्रत्येक अभियुक्तगण इस आशय का अंडरटेकिंग भी प्रस्तुत करेंगे कि वे जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा अधोरोपित शर्तों का पूर्ण पालन करेंगे। परिवीक्षा अवधि के दौरान शांति व सदभावना बनाये रखेंगे और कोई अपराध कारित नहीं करेंगे तथा न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर दण्डादेश पर सुनवाई के लिए उपस्थित होंगे। अभियुक्तगण अंदर समाह परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे।

अभियुक्तगण ननकऊ, कुंवारे, एवं गयाप्रसाद को एन.सी.आर. संख्या 137 सन् 2010 अंतर्गत धारा 427 भारतीय दण्ड संहिता थाना सोनवा, जिला श्रावस्ती के मामले में दोषमुक्त किया जाता है।

निर्णय की एक प्रति निशुल्क अभियुक्तगण को उपलब्ध करायी जाए। साथ ही एक प्रति अविलम्ब जिला परिवीक्षा अधिकारी श्रावस्ती को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।

दिनांक:- 13.12.2019

(अपर्णा देव),

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/
सिविल जज (सीनियर डिवीजन)
श्रावस्ती।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक:- 13.12.2019

(अपर्णा देव),

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/
सिविल जज(सीनियरडिवीजन)
श्रावस्ती।

Self attested
document
attached
18/12/2019